न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/94/2023	2023/412	26.07.2023	30.01.2025

01. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. मै० मनोज साइकिल वर्क्स, कटोरीवाला, अलवर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा. (4 भरे हुए एचपी, 1 भारत, 1 इण्डेन व 3 खाली, एचपी 1 एवं इण्डेन 2) एवं 7 छोटे सिलेण्डर (5 किग्रा) बिना मार्का के, 4 पीतल की बांसूरी (गैस रिफलिंग यंत्र) एवं 2 छोटे रेग्यूलेटर को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—

1. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर —विभागीय प्रतिनिधि

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 ए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी अलवर ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 14.12.2022 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं हरिप्रसाद, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, श्री विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु बख्तल की चौकी, अलवर पर पहुंचे। मौके पर श्री नितिन खण्डेलवाल, कटोरी वाला, अलवर की दुकान मै० मनोज साईकिल वर्क्स, कटोरीवाला, अलवर पर अवैध रूप से भण्डारण किये गये 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (4) भरे हुए 2 एचपी, 1 भारत के एवं 1 इण्डेन 3 खाली एचपी 1 एवं इण्डेन के 2) एवं 7 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा) बिना मार्का के, 4 पीतल की बांसूरी (गैस रिफलिग यंत्र) एवं 2 छोटा रेग्यूलेटर मिले, जिनमें से गैस बड़े सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर (5 किग्रा) में रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था। मौके पर 1 पीतल की बांसूरी एवं 1 छोटा रेग्यूलेटर मिला। श्री नितिन खण्डेलवाल द्वारा घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री नितिन खण्डेलवाल के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जा रहा था, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (4 भरे हुए 2 एचपी, 1 भारत के एवं 1 इण्डेन 3 खाली एचपी 1 एवं इण्डेन के 2) एवं 7 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा) बिना मार्का के, 4 पीतल की बांसूरी (गैस रिफलिग यंत्र) एवं 2 छोटा रेग्यूलेटर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (4) भरे हुए 2 एचपी, 1 भारत के एवं 1 इण्डेन 3 खाली एचपी 1 एवं इण्डेन के 2) एवं 7 छोटा सिलेण्डर (5) किग्रा) बिना मार्का के, 4 पीतल की बांसूरी (गैस

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

रिफलिग यंत्र) एवं 2 छोटा रेग्यूलेटर को मै० प्रसन्ना गैस एजेंसी, एनईबी, अलवर, जिला अलवर के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (4) भरे हुए 2 एचपी, 1 भारत के एवं 1 इण्डेन 3 खाली एचपी 1 एवं इण्डेन के 2) एवं 7 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा) बिना मार्का के, 4 पीतल की बांसूरी (गैस रिफलिग यंत्र) एवं 2 छोटा रेग्यूलेटर को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी को जरिये रजि0 नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद रजि0 तलबी/तामील के अनुपस्थित। अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में वर्णित तथ्यों से जाहिर है कि मौके पर वक्त जांच अप्रार्थी श्री नितिन खण्डेलवाल, कटोरी वाला, अलवर की दुकान मै० मनोज साईकिल वर्कस, कटोरीवाला, अलवर पर 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (4) भरे हुए 2 एचपी, 1 भारत के एवं 1 इण्डेन 3 खाली एचपी 1 एवं इण्डेन के 2) एवं 7 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा) बिना मार्का के, 4 पीतल की बांसूरी (गैस रिफलिग यंत्र) एवं 2 छोटा रेग्यूलेटर अवैध रूप से संग्रहित मिले, जिनमें से गैस बड़े सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर (5 किग्रा) में अवैध रूप से रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था। वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया एवं अवैध रिफलिंग हेतु उपयोग किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 व आरपीपीएल 1990 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा उक्त 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (4) भरे हुए 2 एचपी, 1 भारत के एवं 1 इण्डेन 3 खाली एचपी 1 एवं इण्डेन के 2) एवं 7 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा) बिना मार्का के, 4 पीतल की बांसूरी (गैस रिफलिग यंत्र) एवं 2 छोटा रेग्यूलेटर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (4) भरे हुए 2 एचपी, 1 भारत के एवं 1 इण्डेन 3 खाली एचपी 1 एवं इण्डेन के 2) एवं 7 छोटा सिलेण्डर (5 किग्रा) बिना मार्का के, 4 पीतल की बांसूरी (गैस रिफलिग यंत्र) एवं 2 छोटा रेग्यूलेटर सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)